



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272380  
CG-DL-E-09052026-272380

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2263]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2263]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2354(अ).— केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सभी आदेशों और विनिश्चयों को महानिदेशक द्वारा या निगम के ऐसे अन्य अधिकारियों, जिनमें बीमा आयुक्त, अपर आयुक्त, क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'क'/निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'ख'/संयुक्त निदेशक और उप निदेशक शामिल हैं, द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा, जिन्हें इसके लिए प्राधिकृत किया जाए।

[फा. सं. आर-19025/11/2026-एस एस-1]

आशुतोष ए. टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

**S.O. 2354(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 9 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby notifies that all orders and decisions of the Employees' State Insurance Corporation shall be authenticated by the Director General or such other officers of the Corporation, including Insurance Commissioner, Additional Commissioner, Regional Director Grade 'A'/Director, Regional Director Grade 'B'/Joint Director and Deputy Director as may be authorised.

[F. No. R-19025/11/2026-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.